पत्रावली पेश हुई/~~वकील वादी~~/~~वकील~~
~~उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान P.O. अवकाश~~
~~दौरे पर है।~~ अवकाश पर है।~~का स्थानान्तरण~~
~~हो गया है~~ अत: पत्रावली दि० 30-4-15
को पेश हो।

रीडर

30-4-15 वकील वादी व वकील प्रतिवादी नं० 2 उपस्थित हैं। वकील प्रतिवादी नं० 1 अनुपस्थित है। वास्ते जवाब पत्रावली दि० 14-5-2015 को पेश हो।

14-5-15 पत्रावली पेश हुई/~~वकील वादी~~/~~वकील~~
~~उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान P.O. अवकाश~~ अन्य कार्य में व्यस्त है।
~~दौरे पर है। अवकाश पर है/का स्थानान्तरण~~
~~हो गया है~~ अत: पत्रावली दि० 5-6-15
को पेश हो।

रीडर

1741.43
27.5.15

5-6-2015 पत्रावली आज लोक अदालत शिविर सलेमपुर में पेश हुई। वादी दरबसिंह व प्रतिवादी फतेहसिंह उपस्थित हैं। पक्षकारों ने राजीनामा इस आशय का पेश किया कि उन्होंने जमीन का तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां विभाजन करवा लिया है इसलिए दावा व T.I. प्रार्थना पत्र को चलाना नहीं चाहते हैं। वादी का दावा वापस लेने की अनुमति दी जावे।

दरबसिंह
फतेहसिंह

अत: पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादी दावा नहीं चलाना चाहता है, वादी को दावा वापस लेने की अनुमति दी जाती है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(सतीश कुमार शर्मा)
सदस्य
लोक अदालत
गंगापुर सिटी

(मुनिदेव यादव)
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
एवं
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

3

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) सलेमपुर

पीठासीन अधिकारी–: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

द्रव सिंह पुत्र सुबुद्धि गुर्जर निवासी मोतीपुरा तह0 गंगापुर सिटी —वादी

बनाम

1. फतेह सिंह पुत्र सुबुद्धि गुर्जर निवासी मोतीपुरा तह0 गंगापुर सिटी
2. शाखा प्रबधक भारतीय स्टेट बैक शाखा गंगापुर सिटी
3. लैंड होल्डर व उपपंजीयक तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रतिवादीगण

दावा विभाजन भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 194/2013

वादी की ओर से वादी द्रवसिंह की व प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी फतेहसिंह की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 05.06.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत राजीमामे के अनुसार वादी अपना दावा नही चलाना चाहता है। अतः वादी को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 05.06.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स०मा०)

मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ....रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	